-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2014 में थाना जसपुरा क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर व सास को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2014 में थाना जसपुरा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामपुर में दहेज हत्या मामले में आरोपी 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के पल्हरी के रहने वाले विष्णु कुशवाहा ने दिनांक 05.07.2014 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि दिनांक 28.06.2014 को उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष वालों में दहेज में 50 हजार रुपए, मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग करते हुए प्रताड़ित कर उसकी पुत्री को जान से मार डाला। इस संबंध में थाना जसपुरा पर मु0अ0सं0 106/2014 धारा 498ए/304बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी **श्री प्रभात कुमार** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक **श्री श्रवण कुमार तिवारी** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्र सचना** तथा **पैरोकार आरक्षी वीर प्रताप सिंह** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **कुलदीप कुशवाहा पुत्र रामस्वरुप (पति)**
2. **रामस्वरुप पुत्र भिखुवा (ससुर)**
3. **सीताबाई पत्नी रामस्वरुप (सास), नि0गण ग्राम रामपुर थाना जसपुरा जनपद बांदा**

अभियोजक
श्री श्रवण तिवारी

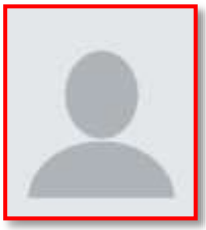

विवेचक
पु0उपाधीक्षक श्री प्रभात कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 शिप्र सचान

पैरोकार
आ0 वीर प्रताप सिंह